



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230113
CG-DL-E-01102021-230113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943

No. 55]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2021

आ.अ. 57(अ).—यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा में **28-खण्डवा** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (नंदू भईया) का स्थान उनके निधन के परिणामस्वरूप दिनांक **02 मार्च, 2021** को रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त **28-खण्डवा** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार **05 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार)** से पूर्व राज्य की लोक सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क)	नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख:	08 अक्टूबर, 2021, (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	11 अक्टूबर, 2021, (सोमवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख:	13 अक्टूबर, 2021, (बुधवार)
(घ)	मतदान की तारीख:	30 अक्टूबर, 2021, (शनिवार)
(ड.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	05 नवम्बर 2021, (शुक्रवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

[फा. सं. 100/म.प्र.-लो.स./1/2021 (उप-निर्वाचन)]

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

O.N. 57(E).—WHEREAS, the seat of **Shri Nandkumar Singh Chouhan (Nandu Bhaiya)** in the House of the People, elected from **28-Khandwa** Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh has become vacant on **02nd March, 2021** by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 149, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said **28-Khandwa** Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **05th November, 2021 (Friday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- | | |
|--|---|
| (a) Last date for filing nominations: | 08 th October, 2021 (Friday) |
| (b) Date for the scrutiny of nominations: | 11 th October, 2021 (Monday) |
| (c) Last date for the withdrawal of candidatures: | 13 th October, 2021 (Wednesday) |
| (d) Date of Poll: | 30 th October, 2021 (Saturday) |
| (e) Date before which the election shall be completed: | 05 th November, 2021 (Friday) and; |

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

[F. No. 100/MP-HP/1/2021 (Bye-Election)]

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.